

56

डिक्री एवं मुकदमे ईबतदाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

- 1 वकील सिंह दतक पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति रामगढिया(तरखान) सा. नारायणगढ (बुधसिह वाला) तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 2 हरदीप कौर पत्नी हरजोगेन्द्र सिंह जाति रामगढिया(तरखान) सा. नारायणगढ (बुधसिह वाला) तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 3 महेन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रामगढिया(तरखान) सा. नारायणगढ (बुधसिह वाला) तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर

- वादीगण

बनाम

- 1 श्रीमती पुत्री करतार सिंह जाति रामगढिया(तरखान) सा. नारायणगढ (बुधसिह वाला) तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 2 शुला पुत्री करतार सिंह जाति रामगढिया(तरखान) सा. नारायणगढ (बुधसिह वाला) तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 3 सतवीर सिंह पुत्र गुडडी कौर पुत्री करतार सिंह जाति रामगढिया(तरखान) सा. नारायणगढ (बुधसिह वाला) तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 4 इन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रामगढिया(तरखान) सा. नारायणगढ (बुधसिह वाला) तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 5 बलविन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रामगढिया(तरखान) सा. नारायणगढ (बुधसिह वाला) तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 6 मनप्रीत कौर पुत्री हरजोगेन्द्र सिंह जाति रामगढिया(तरखान) सा. नारायणगढ (बुधसिह वाला) तह. सादुलशहर जिला श्री गंगानगर
- 7 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
- 8 तहसीलदार (राजस्व) रावला तह. रावला जिला श्री गंगानगर

प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू - अधिवक्ता वादीगण

श्री चरणजीत सिंह सिद्धू - अधिवक्ता प्रति स. 3 व 6

मु. स . 370/2024

दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू एड. वादीगण व श्री चरणजीत सिंह सिद्धू एड. प्रति स. 3 व 6 पेश होकर हुकम दिया जाता है कि चक 27 ए.एम.पी. खाता स. 18/14 खाता करतार सिंह की कुल 3.795 है0 आराजी में 1/8 हिस्सा के वादी स. 1 वकील सिंह व 1/8 हिस्सा की वादीया स. 2 हरदीप कौर व 2/8 हिस्सा का वादी स. 3 महेन्द्र सिंह व 4/8 हिस्सा कें प्रति स. 1

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सीतो, प्रति स. 2 शुला, प्रति स. 4 इन्द्र सिंह व प्रति स 5 बलविन्द्र सिंह ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। अतः राजस्व रिकार्ड से करतार सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण व प्रति स. 1-2-4 व 5 के नाम दर्ज की जावे।

निज.......... मुब्लिक.......... बाबत.......... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 25.7.2024 को जारी की गई।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।



(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
जलंधर अधीक्षक
संगरिया